

## लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

-: ई-ऑक्सन सूचना :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित दुकानों/रूम/हाल/स्टोर/कैंटीन का ई-ऑक्सन दिनांक-20.07.2024 से निरंतर प्रथम शनिवार एवं तृतीय शनिवार को प्रातः 11:00 बजे से वेबसाइट <https://ldauction.pocure247.com/> ई-ऑक्सन के माध्यम से विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। ई-ऑक्सन में भाग लेने हेतु इच्छुक केताओं को ई-ऑक्सन पोर्टल पर पंजीकरण तथा आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत (ई0एम0डी0) ऑन लाइन/आर0टी0जी0उस0 के माध्यम से एवं वांछित प्रपत्र दिनांक-01.07.2024 से खोला जाएगा, जो कि अग्रिम सूचना/आदेशों तक निरंतर चलता रहेगा। पंजीकरण कराने के पश्चात ही सम्पत्तियों के ई-ऑक्सन में आवेदकों द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है। ऑक्सन में प्रस्तावित सम्पत्ति का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट [ldaonline.co.in](http://ldaonline.co.in) पर Download के बाक्स पर क्लिक कर डाउनलोड किया जा सकता है एवं <https://ldauction.pocure247.com/> पर देखा जा सकता है।

**E-Auction Portal/ वेबसाइट - <https://ldauction.pocure247.com/>**


**E-Auction Portal Support: 8866287104,9574524058,7016716557**


**e-mail: [tapan@tender247.com](mailto:tapan@tender247.com), [Mahesh.baku@pocure247.com](mailto:Mahesh.baku@pocure247.com)**

**[helpdesk@pocure247.com](mailto:helpdesk@pocure247.com)**

### अन्य विवरण:-

1. सम्पत्ति "जैसी है जहाँ है" के आधार पर आंशिक की जाएगी।
2. किसी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
3. शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79 बैठक/99 दिनांक 17.12.1999 के अनुसार आरक्षण श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ई-ऑक्सन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा यदि आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है तो आप के द्वारा ऑक्सन में दी गयी बोली को निरस्त कर दिया जाएगा। फर्म तथा कम्पनी को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
4. किसी ई-ऑक्सन बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है। उपाध्यक्ष, का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
5. ई-ऑक्सन के विस्तृत नियम/शर्तें, विशेष कार्याधिकारी(तकनीकी)/ जनसंपर्क अधिकारी/ विशेष अधिकारी(प्र0व्या0सेल), ल0वि0प्रा0, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है

  
(ज्ञानेन्द्र वर्मा)  
अपर सचिव

  
(विवेक श्रीवास्तव)  
सचिव

  
(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)  
उपाध्यक्ष



## लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

### -: ई-ऑक्शन सूचना :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं में स्थित दुकानों/निर्मित व्यवसायिक सम्पत्तियों का ई-ऑक्शन के माध्यम से निरंतर दिनांक-20/07/2024 से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार एवं तृतीय शनिवार को प्रातः 11:00 बजे से <https://lidauction.procure247.com/> पर किया जायेगा। ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेताओं को ई-ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण तथा आरक्षित दर से आगणित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत (ई0एम0डी0) ऑन लाइन/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से एवं वॉछित प्रपत्र जमा करने हेतु दिनांक-01/07/2024 से खोला जाएगा, जो कि अग्रिम सूचना/आदेशों तक निरंतर चलता रहेगा। तत्पश्चात निम्नलिखित सम्पत्तियों के ई-ऑक्शन में आवेदकों द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है।

### गोमती नगर योजना फेज-1, विनय खण्ड-1, में निर्मित कॉम्प्लेक्स में प्रथम तल पर उपलब्ध दुकानें

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी0	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0 (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	श्रेणी
1	एफ.एफ.-9, 19, 20	12.69	129212.00	सामान्य
2	एफ.एफ.-2	12.00	129212.00	सामान्य
3	एफ.एफ.-3, 11, 28	12.11	129212.00	सामान्य
4	एफ.एफ.-5	12.00	129212.00	सामान्य
5	एफ.एफ.-30	12.69	129212.00	सामान्य
6	एफ.एफ.-8	12.00	129212.00	सामान्य
7	एफ.एफ.-10	12.69	129212.00	सामान्य
8	एफ.एफ.-12, 23, 29	12.00	129212.00	सामान्य
9	एफ.एफ.-15, 24, 25, 26	12.00	129212.00	सामान्य
10	एफ.एफ.-17	12.69	129212.00	सामान्य
11	एफ.एफ.-18	12.00	129212.00	सामान्य
12	एफ.एफ.-21	12.69	129212.00	सामान्य
13	एफ.एफ.-22	12.46	129212.00	सामान्य
14	एफ.एफ.-27	12.69	129212.00	सामान्य
15	एफ.एफ.-31	13.16	129212.00	सामान्य
16	एफ.एफ.-32, 34	12.45	129212.00	सामान्य
17	एफ.एफ.-33	12.45	129212.00	सामान्य
18	एफ.एफ.-35, 38	12.45	129212.00	सामान्य
19	एफ.एफ.-36	12.45	129212.00	सामान्य
20	एफ.एफ.-37	12.45	129212.00	सामान्य
21	एफ.एफ.-39	12.45	129212.00	सामान्य
22	एफ.एफ.-40	13.16	129212.00	सामान्य

### गोमती नगर योजना स्थित विशेष खण्ड, में निर्मित दुकान

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी0	आरक्षित दर प्रति वर्गमी0 (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	श्रेणी
1	S-18, 19, 20	10.80	158000.00	सामान्य



**गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड-4, में निर्मित कॉम्प्लेक्स के भू-तल पर उपलब्ध दुकानें।**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	श्रेणी
1	12	11.18	294047.00	सामान्य
2	18	11.18	294047.00	सामान्य
3	19	11.18	294047.00	सामान्य
4	28	7.56	294047.00	सामान्य

**गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड (व्यवसायिक पाकेट) में रेलवे लाइन के समानान्तर निर्मित दुकानें।**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(12 प्रतिशत फी-होल्ड शुल्क पृथक से )	श्रेणी
1	एस-21	13.60	236557.00	सामान्य
4	एस-04	27.91	267204.00	सामान्य
5	एस-03	27.91	267204.00	सामान्य
6	एस-14, 18	12.92	236557.00	सामान्य
7	एस-16, 17	12.92	236557.00	सामान्य
8	एस-19, 20	12.92	236557.00	सामान्य

**गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड-2, (वेजिटेबल मार्केट)में निर्मित कॉम्प्लेक्स के भू-तल पर उपलब्ध दुकानें।**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(12 प्रतिशत फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	श्रेणी
1	S-6, 7, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30,	16	169770.00	सामान्य वर्ग
2	S-13	16	169770.00	अनुसूचित जनजाति
3	S-10, 14, 15, 24, 26, 27, 29	16	169770.00	अनुसूचित जाति
4	S-2, 4, 5, 9, 11, 19, 25, 31, 32	16	169770.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
5	S-2, 3	16	169770.00	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं।
6	S-18	16	169770.00	उ०प्र० आवास व विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका स्थानीय निकाय के कर्मचारी।
7	S-22	16	169770.00	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित।
8	S-8, 33	16	169770.00	विधायक, सांसद, व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी।

**बालागंज कामर्शियल काम्प्लेक्स की दुकानें।**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(12 प्रतिशत फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	श्रेणी
1.	LGF-103	12.00	95903.00	सामान्य

**टिकैतराय योजना में स्थित उपलब्ध दुकानें**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	खण्ड	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	एस-10/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2,	दुकान	फेज-2	12.00	35280.00	सामान्य



**कानपुर रोड योजना सेक्टर-एच, अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स स्थित हॉल की सूची**

क्र०सं०	हॉल संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	ए.एच-1, 10	हॉल	182.10	51783.00	सामान्य
2	ए.एच-2	हॉल	139.51	51783.00	सामान्य
3	ए.एच-3	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
4	ए.एच-4, 8	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
5	ए.एच-5, 6	हॉल	130.75	51783.00	सामान्य
6	ए.एच-7	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
7	ए.एच-9	हॉल	139.51	51783.00	सामान्य
8	बी.एच-1	हॉल	182.10	51783.00	सामान्य
9	बी.एच-2	हॉल	139.51	51783.00	सामान्य
10	बी.एच-3	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
11	बी.एच-4, 8	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
12	बी.एच-5	हॉल	130.75	51783.00	सामान्य
13	बी.एच-6	हॉल	130.75	51783.00	सामान्य
14	बी.एच-7	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
15	बी.एच-9	हॉल	139.51	51783.00	सामान्य
16	बी.एच-10	हॉल	182.10	51783.00	सामान्य

**कानपुर रोड योजना, सेक्टर-एच में निर्मित अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध दुकानें**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	के-1	कियास्क	निर्मित क्षेत्रफल-16.94 वर्ग मी०, ओपेन क्षेत्रफल-78.506 वर्ग मी०	आरक्षित विक्रय मूल्य रु०-60,85,100/-	सामान्य

नोट :-1. उक्त कियास्क की न्यूनतम बोली रु०-3,000/- बढ़ाकर बोली जायेगी।  
2. उक्त कियास्क के ओपेन क्षेत्रफल का प्रयोग आवंटी द्वारा किया जायेगा, परन्तु इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा एवं उक्त ओपेन क्षेत्रफल का निबन्धन भी नहीं किया जायेगा।

**कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी, गोल मार्केट स्थित हॉल का विवरण**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/तल	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	ब्लाक-1	हॉल	डी/प्रथम तल	299.20	67320.00	सामान्य
2	ब्लाक-2	हॉल	डी/प्रथम तल	327.30	67320.00	सामान्य
3	ब्लाक-3	हॉल	डी/प्रथम तल	160.00	67320.00	सामान्य
4	ब्लाक-4	हॉल	डी/प्रथम तल	327.00	67320.00	सामान्य
5	ब्लाक-5	हॉल	डी/प्रथम तल	266.50	67320.00	सामान्य
6	ब्लाक-6	हॉल	डी/प्रथम तल	367.45	67320.00	सामान्य
7	ब्लाक-1	हॉल	डी/द्वितीय तल	299.20	67320.00	सामान्य
8	ब्लाक-3	हॉल	डी/द्वितीय तल	160.00	67320.00	सामान्य
9	ब्लाक-4	हॉल	डी/द्वितीय तल	327.00	67320.00	सामान्य
10	ब्लाक-5	हॉल	डी/द्वितीय तल	266.50	67320.00	सामान्य
11	ब्लाक-5	हॉल	डी/तृतीय तल	266.50	67320.00	सामान्य

**कानपुर रोड योजना सेक्टर-बी में निर्मित ब्रह्मकुंज कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध दुकानें/हॉल**

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
---------	-----------------	------------------------------	--------	-----------------------------	---	---------------



**कानपुर रोड योजना सेक्टर-एच, अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स स्थित हॉल की सूची**

क्र०सं०	हॉल संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	ए.एच-1, 10	हॉल	182.10	51783.00	सामान्य
2	ए.एच-2	हॉल	139.51	51783.00	सामान्य
3	ए.एच-3	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
4	ए.एच-4, 8	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
5	ए.एच-5, 6	हॉल	130.75	51783.00	सामान्य
6	ए.एच-7	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
7	ए.एच-9	हॉल	139.51	51783.00	सामान्य
8	बी.एच-1	हॉल	182.10	51783.00	सामान्य
9	बी.एच-2	हॉल	139.51	51783.00	सामान्य
10	बी.एच-3	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
11	बी.एच-4, 8	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
12	बी.एच-5	हॉल	130.75	51783.00	सामान्य
13	बी.एच-6	हॉल	130.75	51783.00	सामान्य
14	बी.एच-7	हॉल	102.96	51783.00	सामान्य
15	बी.एच-9	हॉल	139.51	51783.00	सामान्य
16	बी.एच-10	हॉल	182.10	51783.00	सामान्य

**कानपुर रोड योजना, सेक्टर-एच में निर्मित अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध दुकानें**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	के-1	क्यास्क	निर्मित क्षेत्रफल-16.94 वर्ग मी०, ओपेन क्षेत्रफल-78.506 वर्ग मी०	आरक्षित विक्रय मूल्य रु०-60,85,100/-	सामान्य

नोट :-1. उक्त क्यास्क की न्यूनतम बोली रु०-3,000/- बढ़ाकर बोली जायेगी।  
2. उक्त क्यास्क के ओपेन क्षेत्रफल का प्रयोग आवंटी द्वारा किया जायेगा, परन्तु इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा एवं उक्त ओपेन क्षेत्रफल का निबन्धन भी नहीं किया जायेगा।

**कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी, गोल मार्केट स्थित हॉल का विवरण**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/तल	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	ब्लाक-1	हॉल	डी/प्रथम तल	299.20	67320.00	सामान्य
2	ब्लाक-2	हॉल	डी/प्रथम तल	327.30	67320.00	सामान्य
3	ब्लाक-3	हॉल	डी/प्रथम तल	160.00	67320.00	सामान्य
4	ब्लाक-4	हॉल	डी/प्रथम तल	327.00	67320.00	सामान्य
5	ब्लाक-5	हॉल	डी/प्रथम तल	266.50	67320.00	सामान्य
6	ब्लाक-6	हॉल	डी/प्रथम तल	367.45	67320.00	सामान्य
7	ब्लाक-1	हॉल	डी/द्वितीय तल	299.20	67320.00	सामान्य
8	ब्लाक-3	हॉल	डी/द्वितीय तल	160.00	67320.00	सामान्य
9	ब्लाक-4	हॉल	डी/द्वितीय तल	327.00	67320.00	सामान्य
10	ब्लाक-5	हॉल	डी/द्वितीय तल	266.50	67320.00	सामान्य
11	ब्लाक-5	हॉल	डी/तृतीय तल	266.50	67320.00	सामान्य

**कानपुर रोड योजना सेक्टर-बी में निर्मित ब्रह्मकुंज कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध दुकानें/हॉल**

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
---------	-----------------	------------------------------	--------	-----------------------------	---	---------------



1	एल.जी.आर.-4	रूम	बी	7.98	64336.00	सामान्य
2	एल.जी.आर.-8	रूम	बी	4.25	64336.00	सामान्य
3	एल.जी.आर.-9	रूम	बी	5.55	64336.00	सामान्य
4	एच.-2 संख्या-15	हॉल/चौथा तल	बी	298.26	64140.00	सामान्य
5	एच.-2 संख्या-16	हॉल/चौथा तल	बी	292.29	64140.00	सामान्य
6	एच.-2 संख्या-18	हॉल/चौथा तल	बी	298.26	64140.00	सामान्य

**मानसरोवर सेक्टर-ओ कानपुर रोड योजना पर भरणी अपार्टमेंट के बगल निर्मित  
शापिंग कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध दुकानें/हॉल/रूम**

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी० (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1.	GF-2	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
2.	GF-3	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	अनुसूचित जाति
3.	GF-4	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	अनुसूचित जनजाति
4.	GF-5	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
5.	GF-6	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	अनुसूचित जाति
6.	GF-7	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	अनुसूचित जाति
7.	GF-8	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	विधायक, सासद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
8.	GF-9	दुकान	सेक्टर-ओ	16.00	230493.00	अनुसूचित जाति
9.	GF-10	दुकान	सेक्टर-ओ	09.52	230493.00	उ०प्र० आवास व विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका स्थानीय निकाय के कर्मचारी।
10.	GF-11	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्णकर चुके हों।
11.	GF-12	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
12.	GF-13	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित।
13.	GF-14	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	सामान्य वर्ग
14.	GF-16	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	सामान्य वर्ग
15.	GF-17	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
16.	GF-18	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	सामान्य वर्ग
17.	GF-19	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	230493.00	अनुसूचित जाति
18.	GF-20	दुकान	सेक्टर-ओ	09.04	230493.00	सामान्य वर्ग
19.	FF-1	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	सामान्य वर्ग
20.	FF-2	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
21.	FF-3	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	अनुसूचित जाति
22.	FF-4	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	अनुसूचित जाति
23.	FF-5	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	सामान्य वर्ग
24.	FF-6	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
25.	FF-7	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	अनुसूचित जाति
26.	FF-8	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	सामान्य वर्ग
27.	FF-9	दुकान	सेक्टर-ओ	16.00	207338.00	सामान्य वर्ग
28.	FF-10	दुकान	सेक्टर-ओ	09.52	207338.00	सामान्य वर्ग
29.	FF-11	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	सामान्य वर्ग
30.	FF-12	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
31.	FF-13	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	विधायक, सासद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी



32.	FF-14	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
33.	FF-15	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
34.	FF-16	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
35.	FF-17	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	सामान्य वर्ग
36.	FF-18	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	सामान्य वर्ग
37.	FF-19	दुकान	सेक्टर-ओ	14.00	207338.00	सामान्य वर्ग
38.	FF-20	दुकान	सेक्टर-ओ	09.04	207338.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
39.	SFH-1	हाल	सेक्टर-ओ	144.62	138437.00	सामान्य वर्ग
40.	SFH-2	हाल	सेक्टर-ओ	119.86	138437.00	अनुसूचित जाति
41.	SFH-3	हाल	सेक्टर-ओ	114.64	138437.00	सामान्य वर्ग
42.	TFH-1	हाल	सेक्टर-ओ	144.62	138437.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
43.	TFH-2	हाल	सेक्टर-ओ	119.86	138437.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
44.	TFH-3	हाल	सेक्टर-ओ	114.64	138437.00	सामान्य वर्ग
45.	4 <sup>th</sup> FH-2	हाल	सेक्टर-ओ	114.64	196115.00	सामान्य वर्ग
46.	SFR-1	रूम	सेक्टर-ओ	24.79	138437.00	अनुसूचित जाति
47.	TFR-1	रूम	सेक्टर-ओ	24.79	138437.00	सामान्य वर्ग
48.	4 <sup>th</sup> FR-1	रूम	सेक्टर-ओ	24.79	196115.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
49.	4 <sup>th</sup> FR-3	रूम	सेक्टर-ओ	41.66	196115.00	सामान्य वर्ग

### प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर-बी में नवनिर्मित दुकानें

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1.	एस.-1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 38, 48, 54, 57, 58	दुकान	बी	7.20	133396.00	सामान्य
2.	एस.-6, 7, 9, 13, 14, 15, 20, 31, 35, 36, 49, 51, 53	दुकान	बी	7.20	133396.00	सामान्य
3.	एस.-8, 18, 23, 27, 32, 34, 37, 50, 52,	दुकान	बी	7.20	133396.00	सामान्य
4.	एस.-39, 42, 45,	दुकान	बी	3.24	133396.00	सामान्य
5.	एस.-40, 41, 46	दुकान	बी	3.24	133396.00	सामान्य
6.	एस.-44	दुकान	बी	3.24	133396.00	सामान्य
7.	के.-1, 5	दुकान	बी	1.44	133396.00	सामान्य
8.	के.-2, 4	दुकान	बी	1.44	133396.00	सामान्य
9.	के.-3	दुकान	बी	1.44	133396.00	सामान्य

### प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर-सी में नवनिर्मित दुकानें (भूखण्ड सं०-एल.एस.-1 पर)

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1.	एस.-11	दुकान	सी	7.20	133396.00	सामान्य
2.	एस.-12	दुकान	सी	7.20	133396.00	सामान्य
3.	एस.-13, 14	दुकान	सी	7.20	133396.00	सामान्य
4.	एस.-15	दुकान	सी	7.20	133396.00	सामान्य
5.	एस.-6	दुकान	सी	4.32	133396.00	सामान्य
6.	एस.-9,	दुकान	सी	4.32	133396.00	सामान्य
7.	एस.-22	दुकान	सी	3.24	133396.00	सामान्य
8.	एस.-18	दुकान	सी	3.24	133396.00	सामान्य
9.	एस.-20	दुकान	सी	3.24	133396.00	सामान्य
10.	एस.-21	दुकान	सी	3.24	133396.00	सामान्य



**प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर-सी में नवनिर्मित दुकानें (भूखण्ड सं०-एल.एस.-२ पर)**

क्र.सं.	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	एस.-13,	दुकान	सी	3.24	133396.00	सामान्य
2	एस.-12, 14,	दुकान	सी	3.24	133396.00	सामान्य
3	के.-2	दुकान	सी	1.44	133396.00	सामान्य

**अलीगंज योजना, सेक्टर बी कपूरथला कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध हॉल**

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	1/1	हॉल	बी/प्रथम तल	169.95	47000.00	सामान्य
2	2/1	हॉल	बी/द्वितीय तल	169.95	48000.00	सामान्य
3	2/2	हॉल	बी/द्वितीय तल	212.675	48000.00	सामान्य
4	2/3	हॉल	बी/द्वितीय तल	180.15	48000.00	सामान्य
5	2/4	हॉल	बी/द्वितीय तल	169.95	48000.00	सामान्य
6	2/6	हॉल	बी/द्वितीय तल	166.075	48000.00	सामान्य
7	2/7	हॉल	बी/द्वितीय तल	169.95	48000.00	सामान्य
8	2/8	हॉल	बी/द्वितीय तल	169.95	48000.00	सामान्य

**अलीगंज योजना, सेक्टर-जी में निर्मित कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध हॉल**

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	4	हॉल	जी	513.91	47285.00	सामान्य
2	8	हॉल	जी	349.92	47285.00	सामान्य

**अलीगंज योजना, सेक्टर-एन में (पॉकेट नं. 2 पर निर्मित) उपलब्ध दुकानें**

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
2	3	दुकान	एन	10.00	60915.00	सामान्य
4	1, 2, 3,	छोटी दुकान	एन	7.83	60915.00	सामान्य

**सिन्डर्स डम्प योजना में दुकान हेतु व्यवसायिक भूखण्ड**

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	भूखण्ड सं०-जी-53	दुकान हेतु व्यवसायिक भूखण्ड	-	12.00	48400.00	सामान्य



**विकासदीप (छितवापुर) स्थित दुकानों का विवरण**

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/तल	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	कैन्टीन	कैन्टीन	द्वितीय लेवल	51.728	198131.00	सामान्य

**बसन्त कुँज योजना सेक्टर-सी में स्थित दुकानों का विवरण**

क्रमांक	सम्पत्ति संख्या	व्यवसायिक सम्पत्ति का प्रकार	सेक्टर/तल	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
1	बी-3	दुकान	सी	11.70	211010.00	सामान्य

**जानकीपुरम विस्तार योजना में उपलब्ध दुकानें**

क्रमांक	दुकान संख्या	सेक्टर	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी०)	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०	आरक्षण श्रेणी
1.	2, 3	6	8.52	102565.00	सामान्य
2.	5	6	8.67	102565.00	सामान्य
3.	6	6	6.85	102565.00	सामान्य
4.	7	6	6.85	102565.00	सामान्य
5.	8	6	8.29	102565.00	सामान्य
6.	10	6	7.16	102565.00	सामान्य
7.	11, 12	6	7.16	102565.00	सामान्य

**जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर-2 टीन शेड सब्जी मण्डी हेतु  
चबूतरा/दुकान**

क्र.सं.	दुकान संख्या	अनुमानित कवर्ड क्षेत्रफल (वर्गमी०)	आरक्षित दर प्रति वर्गमी०(फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	श्रेणी
1.	06, 11, 14, 17, 21, 36, 39, 40, 44, 49, 54,	5.76	103174.00	सामान्य
2.	07, 62	5.76	103174.00	सामान्य
3.	18, 22, 24, 25, 30, 38, 41, 43, 61, 63, 68, 73, 74	5.76	103174.00	सामान्य
4.	19, 64,	5.76	103174.00	सामान्य
5.	01, 10, 13, 15, 20, 23, 37, 42, 55, 66, 69, 70, 72, 75	5.76	103174.00	सामान्य
6.	02,	5.76	103174.00	सामान्य
7.	03, 04, 16, 45	5.76	103174.00	सामान्य
8.	05, 08, 09	5.76	103174.00	सामान्य
9.	26	5.76	103174.00	सामान्य
10.	31	5.76	103174.00	सामान्य
11.	59	5.76	103174.00	सामान्य
12.	12	6.38	103174.00	सामान्य
13.	27	8.208	103174.00	सामान्य
14.	46	8.79	103174.00	सामान्य
15.	58	6.36	103174.00	सामान्य
16.	60	4.93	103174.00	सामान्य
17.	65	6.82	103174.00	सामान्य
18.	67	5.64	103174.00	सामान्य
19.	71	8.10	103174.00	सामान्य

**जनेश्वर इन्क्लेव अपार्टमेंट सेक्टर-जे विस्तार जानकीपुरम योजना के ब्लॉक ए,  
बी, सी, डी एवं ई के स्टिल्ट फ्लोर पर निर्मित दुकानों का विवरण**

क्रमांक	दुकान संख्या	ब्लॉक	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी०)	दुकान का आरक्षित मूल्य (फी-होल्ड शुल्क पृथक से)	आरक्षण श्रेणी
---------	--------------	-------	------------------------------	---	---------------



1.	2	A	10.093	1254600.00	अ0पि0व0
2.	1	B	30.916	3842900.00	अनुसूचित जनजाति
3.	2	B	8.941	1111400.00	अ0पि0व0
4.	3	B	19.649	2442400.00	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्णकर चुके हो।
5.	2	C	14.898	1851900.00	अनुसूचित जाति
6.	3	C	8.989	1117400.00	विधायक, सासद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
7.	1	D	31.085	3863900.00	अ0पि0व0
8.	2	D	8.830	1097600.00	अनुसूचित जाति
9.	3	D	19.790	2459900.00	सामान्य वर्ग
10.	1	E	15.218	1891600.00	अ0पि0व0
11.	2	E	26.812	3332800.00	सामान्य वर्ग
12.	3	E	26.009	3233000.00	सामान्य वर्ग
13.	4	E	14.488	1800900.00	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित।
14.	5	E	14.268	1773600.00	अनुसूचित जाति
15.	6	E	26.054	3268600.00	सामान्य वर्ग
16.	7	E	26.607	3307300.00	अनुसूचित जाति
17.	8	E	15.696	1951100.00	अनुसूचित जाति

सी0जी0 सिटी (चक गजरिया) योजना में निर्मित फ्लैटों के भू-तल पर उपलब्ध दुकानें एवं स्टोर।

क्र.सं.	दुकान संख्या	अनुमानित कवर्ड क्षेत्रफल (वर्गमी0)	दुकान/स्टोर	आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर (12 प्रतिशत फी-होल्ड शुल्क पृथक से देय है)	श्रेणी
1.	S-SH(2)-03 S-SH(2)-04	10.34	दुकान	146100.00	सामान्य
2.	K-SH(1)-03	14.91	दुकान	146100.00	सामान्य
3.	K-SH(1)-01	14.91	दुकान	146100.00	सामान्य
4.	K-SH(2)-04	10.86	दुकान	146100.00	सामान्य
5.	K-SH(1)-02 K-SH(1)-04	14.91	दुकान	146100.00	सामान्य
6.	SWATI/B-ST-03 SWATI/D-ST-01 SWATI/D-ST-03 SWATI/D-ST-06 SWATI/D-ST-08 SWATI/E-ST-09 SWATI/F-ST-01 SWATI/F-ST-02 SWATI/H-ST-04	10.34	स्टोर	146100.00	सामान्य
7.	KRITIKA/A-ST-01 KRITIKA/B-ST-01	10.86	स्टोर	146100.00	सामान्य
8.	SWATI/A-ST-01 SWATI/A-ST-03 SWATI/B-ST-01 SWATI/C-ST-01 SWATI/C-ST-05 SWATI/C-ST-06 SWATI/D-ST-02 SWATI/E-ST-02	10.34		146100.00	सामान्य



	SWATI/E-ST-04 SWATI/E-ST-06 SWATI/E-ST-08 SWATI/F-ST-03 SWATI/F-ST-04 SWATI/G-ST-01 SWATI/G-ST-02 SWATI/H-ST-01		स्टोर		
9.	SWATI/A-ST-02 SWATI/A-ST-04 SWATI/B-ST-02 SWATI/C-ST-02 SWATI/C-ST-03 SWATI/C-ST-07 SWATI/D-ST-05 SWATI/D-ST-07 SWATI/D-ST-09 SWATI/E-ST-03 SWATI/E-ST-05 SWATI/E-ST-07 SWATI/F-ST-06 SWATI/F-ST-07 SWATI/F-ST-08 SWATI/H-ST-02 SWATI/H-ST-03	10.34	स्टोर	146100.00	सामान्य
10.	SWATI/B-ST-04 SWATI/C-ST-04 SWATI/E-ST-01	10.34	स्टोर	146100.00	सामान्य
11.	SWATI/D-ST-04	10.34	स्टोर	146100.00	सामान्य
12.	SWATI/F-ST-05	10.34	स्टोर	146100.00	सामान्य
13.	SWATI/F-ST-09	10.34	स्टोर	146100.00	सामान्य
14.	KRITIKA/A-ST-02 KRITIKA/A-ST-04 KRITIKA/A-ST-06 KRITIKA/B-ST-05 KRITIKA/C-ST-02 KRITIKA/C-ST-03 KRITIKA/D-ST-04 KRITIKA/D-ST-05 KRITIKA/D-ST-08 KRITIKA/D-ST-09 KRITIKA/D-ST-10 KRITIKA/E-ST-01 KRITIKA/E-ST-02 KRITIKA/F-ST-02 KRITIKA/F-ST-05	10.88	स्टोर	146100.00	सामान्य
15.	KRITIKA/A-ST-03 KRITIKA/B-ST-03 KRITIKA/B-ST-04 KRITIKA/C-ST-05 KRITIKA/D-ST-01	10.88	स्टोर	146100.00	सामान्य



	KRITIKA/D-ST-06 KRITIKA/D-ST-07 KRITIKA/E-ST-03 KRITIKA/E-ST-05				
16.	KRITIKA/A-ST-05	10.86	स्टोर	146100.00	सामान्य
17.	KRITIKA/D-ST-02	10.86	स्टोर	146100.00	सामान्य
18.	KRITIKA/D-ST-03 KRITIKA/F-ST-01	10.85	स्टोर	146100.00	सामान्य
19.	KRITIKA/A-ST-07	10.86	स्टोर	146100.00	सामान्य
20.	KRITIKA/B-ST-02 KRITIKA/B-ST-06 KRITIKA/C-ST-01 KRITIKA/C-ST-04 KRITIKA/C-ST-06 KRITIKA/E-ST-04	10.86	स्टोर	146100.00	सामान्य
21.	KRITIKA/D-ST-11 KRITIKA/F-ST-03 KRITIKA/F-ST-04	10.86	स्टोर	146100.00	सामान्य

शारदा नगर योजना के अर्न्तगत रतन खण्ड में स्थित शापिंग काम्पलेक्स में उपलब्ध दुकानें एवं कार्यालय हेतु हाल का विवरण

क्र.सं.	दुकान संख्या	अनुमानित कवर्ड क्षेत्रफल (वर्गमी०)	आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर (12 प्रतिशत फी-होल्ड शुल्क पृथक से देय है)	श्रेणी
1.	GF-Retail-01/S-01	26.35	184323.00	सामान्य
2.	GF-Retail-01/S-06	26.35	184323.00	सामान्य
3.	GF-Retail-01/S-07	26.35	184323.00	सामान्य
4.	GF-Retail-01/S-18	26.35	184323.00	सामान्य
5.	GF-Retail-01/S-23	26.35	184323.00	सामान्य
6.	GF-Retail-02/S-02	24.53	184323.00	सामान्य
7.	GF-Retail-02/S-03	24.53	184323.00	सामान्य
8.	GF-Retail-02/S-04	24.53	184323.00	सामान्य
9.	GF-Retail-02/S-05	24.53	184323.00	सामान्य
10.	GF-Retail-02/S-08	24.53	184323.00	सामान्य
11.	GF-Retail-02/S-09	24.53	184323.00	सामान्य
12.	GF-Retail-02/S-10	24.53	184323.00	सामान्य
13.	GF-Retail-02/S-11	24.53	184323.00	सामान्य
14.	GF-Retail-02/S-14	24.53	184323.00	सामान्य
15.	GF-Retail-02/S-15	24.53	184323.00	सामान्य
16.	GF-Retail-02/S-16	24.53	184323.00	सामान्य
17.	GF-Retail-02/S-17	24.53	184323.00	सामान्य
18.	GF-Retail-02/S-20	24.53	184323.00	सामान्य
19.	GF-Retail-02/S-21	24.53	184323.00	सामान्य
20.	GF-Retail-02/S-22	24.53	184323.00	सामान्य
21.	GF-Retail-03/S-19	28.00	184323.00	सामान्य
22.	GF-Retail-04/S-24	32.88	184323.00	सामान्य
23.	GF-Retail-05/S-25	31.56	184323.00	सामान्य
24.	GF-Retail-06/S-26	22.32	184323.00	सामान्य
25.	GF-Retail-07/S-27	20.68	184323.00	सामान्य
26.	GF-Retail-08/S-28	21.66	184323.00	सामान्य
27.	GF-Retail-09/S-29	22.86	184323.00	सामान्य
28.	GF-Retail-10/S-30	23.26	184323.00	सामान्य
29.	GF-Retail-10/S-36	23.26	184323.00	सामान्य



30.	GF-Retail-11/S-31	20.24	184323.00	सामान्य
31.	GF-Retail-11/S-33	20.24	184323.00	सामान्य
32.	GF-Retail-12/S-32	20.37	184323.00	सामान्य
33.	GF-Retail-13/S-34	22.00	184323.00	सामान्य
34.	GF-Retail-14/S-35	21.56	184323.00	सामान्य
35.	GF-Retail-15/S-37	20.10	184323.00	सामान्य
36.	GF-Retail-16/S-38	23.26	184323.00	सामान्य
37.	GF-Mini Anchor-01/S-01	100.56	184323.00	सामान्य
38.	GF-Mini Anchor-02/S-02	96.41	184323.00	सामान्य
39.	GF-Mini Anchor-03/S-03	119.46	184323.00	सामान्य
40.	GF-Mini Anchor-04/S-04	119.19	184323.00	सामान्य
41.	GF-Mini Anchor-05/S-05	119.46	184323.00	सामान्य
42.	GF-Mini Anchor-06/S-06	80.88	184323.00	सामान्य
43.	GF-Mini Anchor-07/S-07	83.87	184323.00	सामान्य
44.	FF-Retail-01/S-101	35.14	168088.00	सामान्य
45.	FF-Retail-01/S-111	35.14	168088.00	सामान्य
46.	FF-Retail-01/S-112	35.14	168088.00	सामान्य
47.	FF-Retail-01/S-121	35.14	168088.00	सामान्य
48.	FF-Retail-02/S-102	24.53	168088.00	सामान्य
49.	FF-Retail-02/S-103	24.53	168088.00	सामान्य
50.	FF-Retail-02/S-104	24.53	168088.00	सामान्य
51.	FF-Retail-02/S-107	24.53	168088.00	सामान्य
52.	FF-Retail-02/S-108	24.53	168088.00	सामान्य
53.	FF-Retail-02/S-109	24.53	168088.00	सामान्य
54.	FF-Retail-02/S-110	24.53	168088.00	सामान्य
55.	FF-Retail-02/S-113	24.53	168088.00	सामान्य
56.	FF-Retail-02/S-114	24.53	168088.00	सामान्य
57.	FF-Retail-02/S-115	24.53	168088.00	सामान्य
58.	FF-Retail-02/S-116	24.53	168088.00	सामान्य
59.	FF-Retail-02/S-119	24.53	168088.00	सामान्य
60.	FF-Retail-02/S-120	24.53	168088.00	सामान्य
61.	FF-Retail-03/S-105	26.35	168088.00	सामान्य
62.	FF-Retail-04/S-106	32.72	168088.00	सामान्य
63.	FF-Retail-04/S-117	32.72	168088.00	सामान्य
64.	FF-Retail-05/S-118	28.00	168088.00	सामान्य
65.	FF-Retail-06/S-122	32.88	168088.00	सामान्य
66.	FF-Retail-07/S-123	31.56	168088.00	सामान्य
67.	FF-Retail-08/S-124	22.32	168088.00	सामान्य
68.	FF-Retail-09/S-125	20.68	168088.00	सामान्य
69.	FF-Retail-10/S-126	21.66	168088.00	सामान्य
70.	FF-Retail-11/S-127	22.86	168088.00	सामान्य
71.	FF-Retail-12/S-128	23.26	168088.00	सामान्य
72.	FF-Retail-12/S-136	23.26	168088.00	सामान्य
73.	FF-Retail-13/S-129	20.24	168088.00	सामान्य
74.	FF-Retail-13/S-131	20.24	168088.00	सामान्य
75.	FF-Retail-14/S-130	20.24	168088.00	सामान्य
76.	FF-Retail-15/S-132	20.10	168088.00	सामान्य
77.	FF-Retail-16/S-133	22.00	168088.00	सामान्य
78.	FF-Retail-17/S-134	23.74	168088.00	सामान्य
79.	FF-Retail-18/S-135	21.56	168088.00	सामान्य
80.	FF-Mini Anchor-01/S-01	100.56	168088.00	सामान्य
81.	FF-Hyper Mart/S-01	791.88	168088.00	सामान्य
82.	SF/Hall for office	1201.62	163491.00	सामान्य



83.	TF/Hall for office	1201.62	163491.00	सामान्य
84.	4th F/Hall for Restaurant	636.52	203729.00	सामान्य

अन्य विवरण: -

1. सम्पत्ति "जैसी है जहाँ है" के आधार पर आवंटित की जायेगी।
2. किसी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
3. शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79 बैठक/99 दिनांक-17.12.99 के अनुसार आरक्षण श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। फर्म तथा कम्पनी को सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।
4. किसी भी नीलामी की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है। उपाध्यक्ष, का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
6. नीलामी के विस्तृत नियम/शर्तें, विशेष कार्याधिकारी(तकनीकी)/जनसंपर्क अधिकारी उप सचिव (प्र0व्या0सेल), ल0 वि0 प्रा0, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर स्थित कार्यालय तथा [ldaonline.co.in](http://ldaonline.co.in) पर देखी व प्राप्त की जा सकती है।

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)  
अपर सचिव

(विवेक श्रीवास्तव)  
सचिव

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)  
उपाध्यक्ष





# लखनऊ विकास प्राधिकरण

## नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें

1. व्यावसायिक सम्पत्तियों का निस्तारण ई-आक्शन से किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ई-ऑक्शन आमंत्रित किया जायेगा। ऑक्शन में सर्वोच्च बोली प्राप्त होने के बाद उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में दी गयी बोली पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा विचार किया जायेगा। उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 को पूर्ण अधिकार होगा कि वह सर्वोच्च बोली के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर दें एवं जमानत धनराशि/टोकन मनी वापस कराते हुए पुनः ई-ऑक्शन आमंत्रित करें।
2. यदि पूर्व से प्राधिकरण द्वारा किसी को व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटित की गई है और उसने लगातार 03 किश्तें जमा नहीं किया है, तो वह डिफॉल्टर माना जायेगा और उसे नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन करने की तिथि तक बकाया धनराशि जमा कर देते हैं, तो आवेदन करने व ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र माने जायेंगे।
3. ई-ऑक्शन में 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही निर्धारित ई0एम0डी0/टोकन मनी जमा कर प्रतिभाग कर सकते हैं। बोली में असफल होने पर जमा ई0एम0डी0/टोकन मनी की धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79 बैठक/99 दिनांक-17.12.99 के अनुसार आरक्षण देय होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। यदि आवेदक/टेण्डरदाता द्वारा आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड/उपलब्ध नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा दी गयी बोली/आफर को निरस्त कर दिया जायेगा।
5. फर्म संस्था/कम्पनी को अपना मेमोरेन्डम व आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी तथा अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर भी देना होगा। साझीदार फर्म को रजिस्ट्रार आफ फर्म के यहाँ पंजीकृत होना तथा आवेदक को E-mail ID & Whatsapp मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य हैं।
6. जो इच्छुक क्रेता ई-ऑक्शन द्वारा सम्पत्ति को लेना चाहते हैं, उन्हें ई-ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए वांछित सम्पत्ति के सम्वन्ध में अपेक्षित अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी की धनराशि ऑनलाइन जमा करानी होगी।
7. ई-ऑक्शन में भाग लेने वाला इच्छुक व्यक्ति एक से अधिक परिसम्पत्तियों पर ई-बोली लगा सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक परिसम्पत्ति के लिये पृथक-पृथक अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी ऑनलाइन जमा कराना होगा। आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक व्यावसायिक सम्पत्तियां क्रय की जा सकती हैं।
8. ई-आक्शन पोर्टल पर सभी विवरण सही-सही भरे जायें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ई-ऑक्शन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गयी सूचना असत्य पाये जाने पर आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि स्वीकृत बोलीदाता कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अथवा कपट, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव आदि के माध्यम से आवंटन प्राप्त करता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अर्नेस्ट मनी/टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात् उपरोक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि एवं जी0एस0टी0 जब्त करने तथा विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
9. सम्पत्ति "जैसी है जहाँ है" के आधार पर आवंटित की जायेगी।
10. ई-आक्शन में प्रतिभाग करने वालों से अपेक्षा है कि ऑक्शन से पूर्व सम्पत्ति का विवरण, माप, चौहद्दी, स्वामित्व आदि के विषय में आश्वस्त हों। यदि किसी सम्पत्ति को बोलीदाता के पक्ष में आवंटित की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा सम्पत्ति की स्थिति अथवा निर्माण



आदि विषयक दोष, स्वत्व इत्यादि का स्थल का निरीक्षण कर/प्राधिकरण से सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सभी आपत्तियाँ त्याग दी हैं। बाद में सम्पत्ति विषयक किसी भी दोष के सम्बन्ध में कोई शिकायत ग्राह्य/मान्य नहीं होगी।

11. यदि ई-आक्शन में प्रतिभाग करने वालों द्वारा आक्शन की शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जाता है तो उसको ई-आक्शन से वंचित करने का अधिकार ई-ऑक्शन कमेटी को होगा।

12. सम्पत्ति के न्यूनतम आरक्षित विक्रय मूल्य में बोली निम्नानुसार लगायी जायेगी।

- A- ₹0-20.00 लाख तक न्यूनतम वृद्धि ₹0-10,000/- एवं उसके गुणांक में।
- B- ₹0-20.00 लाख से 50.00 लाख तक ₹0-50,000/- एवं उसके गुणांक में।
- C- ₹0-50.00 लाख से 2.00 करोड. तक ₹0-1.00 लाख एवं उसके गुणांक में।
- D- ₹0-2.00 करोड. से 5.00 करोड. तक ₹0-5.00/- लाख एवं उसके गुणांक में।
- E- ₹0-5.00 करोड. से 10.00 करोड. तक ₹0-10.00/- लाख एवं उसके गुणांक में।
- F- ₹0-10.00 करोड. से ऊपर तक की सम्पत्तियों में ₹0-20.00/- लाख एवं उसके गुणांक में।

13. यदि किसी कारणवश भूमि की लागत में बढ़ोत्तरी होती है अथवा किसी वाद के कारण विचाराधीन भूमि के दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा।

14. यदि आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उसके आवंटन के समय जो नीलामी में प्राप्त उच्चतम दर अथवा प्राप्त अतिरिक्त क्षेत्रफल के आवंटन के समय नियमानुसार वर्तमान दर में से जो अधिक होगी उस दर से अतिरिक्त क्षेत्रफल की देयता जमा करनी होगी। अतिरिक्त भूमि/क्षेत्रफल प्राप्त होने पर अतिरिक्त भूमि की दर ई-आफरदाता से प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त भूमि/क्षेत्रफल का मॉग पत्र जारी होने के 01 माह (एक) के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा की दशा में प्राधिकरण के नियमानुसार ब्याज देय होगा।

15. ई-आक्शन के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के पास/स्थल पर अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता होने की स्थिति में नियोजन के अभिमत पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा आवंटन किये जाने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

16. सामान्यतया एकल बोली/आफर (बिड) को स्वीकार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सम्पत्तियों के निस्तारण की दृष्टि से आक्शन समिति की संस्तुति के आधार पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

17. A-धनराशि जमा करने का विवरण

1. प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित व्यवसायिक दुकान/हाल/रूम/कैन्टीन के आवंटन के पश्चात उच्चतम ई-ऑफरदाता को कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली गयी बोली/नीलामी स्वीकृत पश्चात् प्रेषित आवंटन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 01 माह में अवश्य जमा करनी होगी, (उसमें ई0एम0डी0 की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।) अवशेष 75 प्रतिशत की धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के 03 माह पश्चात 28 त्रैमासिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा करनी होगी। 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात शर्तों के अनुसार कब्जा/अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।
2. आवंटन पत्र में निर्धारित 25 प्रतिशत की अन्तर धनराशि निर्धारित अवधि/तिथि पर नहीं जमा करने पर आवेदक/टेण्डरदाता के अनुरोध पर उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 देय धनराशि एक माह में 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा करने हेतु एक अन्तिम अवसर दे सकते हैं। समयावधि समाप्त होने के एक माह के अन्दर यदि आवेदक/टेण्डरदाता द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि आवेदक/टेण्डरदाता आवंटित सम्पत्ति क्य करने में असमर्थ है और बिना किसी नोटिस के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा



- ई0एम0डी0 जब कर ली जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक/टेण्डरदाता की स्वयं होगी।
3. देय किश्तों का भुगतान समय से न करने पर 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
  4. आवंटन पत्र निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि (12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क की धनराशि को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। आवंटी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर पर नहीं घटायी जायेगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य मदों में समायोजित किया जायेगा।
  5. पत्र प्राप्ति की तिथि सम्बन्धित डाकघर द्वारा वितरित करने मोहरनुमा अंकित तिथि/पोस्टमैन द्वारा अंकित तिथि ही मानी जायेगी। यदि डाक से पत्र बिना वितरित हुये कार्यालय में वापस आता है तो डाक विभाग/डाकिया द्वारा प्रथम अंकित तिथि ही पत्र प्राप्ति की तिथि मानी जायेगी।

#### **B-अनुबन्ध में प्रतिबन्ध**

1. व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा अपने सदस्यों/ग्राहकों को सम्पत्ति/भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं होगा। जब तक प्राधिकरण से देयता समाप्त नहीं हो जाती है, प्राधिकरण के प्रति देयता समाप्त होने एवं आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्री होने के पश्चात ही आवंटी को अपने ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।
2. आवंटियों द्वारा देय भुगतान शिड्यूल के अनुसार न किये जाने पर अथवा अनुबंध के प्राविधानों/शर्तों के उल्लंघन की दशा में प्राधिकरण को देय बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल करने का अधिकार होगा।
3. आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष प्राधिकरण को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार प्राधिकरण का होगा।
4. सम्पत्ति के मूल्य पर प्रचलित नियमों अनुसार सम्पूर्ण फ्री-होल्ड शुल्क जमा करने पर सम्पत्ति का अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

#### **C-देय धनराशि जमा न करने पर आवंटित व्यवसायिक सम्पत्ति को निरस्त करना-**

1. इच्छुक क्रेता द्वारा उच्चतम बोली बोलने के बाद मना करने पर अथवा स्वीकृत के उपरान्त देय धनराशि न जमा करने पर जमा की गयी सम्पूर्ण टोकन मनी/ई0एम0डी0 धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब कर ली जायेगी।  
यदि आवंटी निरस्त सम्पत्ति को पुनर्जीवित कराना चाहें तो उसे पुनर्जीवन शुल्क तथा सम्पत्ति रिक्त होने की स्थिति में स्वीकृताधिकारी द्वारा सम्पत्ति के अद्यावधिक भुगतान की शर्तों/तत्समय प्रभावी गणना गार्डेड लाईन में निहित प्राविधान के अधीन, आवंटन पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
2. आवंटन पत्र के अनुसार भुगतान के बाद यदि आवंटी किन्ही कारणों से सम्पत्ति लेने में असहमत होता है और जमा धनराशि वापसी की माँग करता है तो भुगतान की गयी धनराशि में से टोकन धनराशि (10 प्रतिशत) सहित प्रथम चरण (15 प्रतिशत) में जमा सम्पूर्ण धनराशि की कटौती करने के साथ आवंटन सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर निरस्त कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।
3. आवंटन पत्र में निर्धारित 25 प्रतिशत धनराशि (ई0एम0डी की धनराशि समायोजित सहित) का समय से न जमा करने पर 10 प्रतिशत टोकन मनी/ई0एम0डी0 की धनराशि जब कर ली जायेगी और यदि कोई आवंटी लगातार 3 किश्तें जमा नहीं करता है तो वह डिफाल्टर माना जायेगा ऐसी स्थिति में बिना किसी नोटिस के सम्पत्ति के मूल्य का जमा 25 प्रतिशत धनराशि की



- कटौती करने के साथ आवंटन सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर निरस्त कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।
4. सम्पत्ति जिसका कब्जा प्राधिकरण के पास है, के आवंटन निरस्तीकरण के पश्चात ऐसी सम्पत्ति को आगामी प्रस्तावित नीलामी में सम्मिलित किया जायेगा।
  5. ऐसी निरस्त सम्पत्तियाँ जिनका भौतिक कब्जा पूर्व से हस्तगत है, के विरुद्ध देय ब्याज सहित सम्पूर्ण अवशेष धनराशि तथा पुनर्जीवन शुल्क के रूप में जब्त टोकन मनी/ई0एम0डी0 धनराशि का 40 प्रतिशत प्राधिकरण के खाते में जमा किये जाने पर स्वीकृताधिकारी द्वारा पुनर्जीवित किया जायेगा।
  6. निरस्त की गयी सम्पत्तियों में जब्त की जाने वाली धनराशि पर लगने वाले 18 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि पृथक से आवंटनी की जमा धनराशि से घटा कर अवशेष धनराशि रिफण्ड किया जायेगा।
18. प्राधिकरण द्वारा ई-ऑक्शन की नियम व शर्तों का पालन आवंटनी/संस्था को करना होगा। ई-आक्शन के सम्बन्ध में समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 में निहित होगा।
  19. किशतों का प्रारम्भ, आवंटन पत्र में अंकित तिथि से माना जायेगा।
  20. ई-ऑक्शन में प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर ही किसी व्यक्ति के सम्पत्ति का आवंटन पूर्ण नहीं माना जायेगा, सम्पत्ति का आवंटन उसी समय माना जायेगा जब सक्षम स्तर अर्थात् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत प्राप्त हो जाए। आवंटन के पश्चात् समस्त वांछित धनराशि निर्धारित समय में जमा करते हुये औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होगी अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि कोई ई-ऑक्शन दाता की बोली स्वीकार होने के पश्चात् वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति न किये जाने के फलस्वरूप आवंटनी की चूक होने के कारण उसका आवंटन निरस्त किया जाता है तो नियमों के अन्तर्गत टोकन मनी/ई0एम0डी0/अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
  21. यदि प्राधिकरण की सर्विस फाल्ट/आवंटित सम्पत्ति पर किसी प्रकार का वाद-विवाद होने के कारण सम्पत्ति का आवंटनी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा निबन्धन/कब्जा की कार्यवाही पूर्ण नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में आवंटनी की सम्पूर्ण जमा धनराशि भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता हेतु प्रचलित ब्याज दर के साथ कुल धनराशि वापस कर दिया जायेगा।
  22. आक्शन में उच्चतम ई-ऑफरदाता के पक्ष में सम्पत्ति आवंटन के पश्चात शासनादेश/प्रचलित नियमों के अनुसार व्यवसायिक सम्पत्तियों/भूखण्डों के मूल्य पर लीज रेंट/फ्री-होल्ड शुल्क पृथक से देय होगा। यदि आवंटन के पश्चात आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना में पुनः उपरोक्तानुसार धनराशि सम्मिलित कर आगणित कराने के पश्चात प्राप्त देय धनराशि आवंटनी को निर्धारित तिथि के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति में दण्ड ब्याज देय होगा। सम्पत्ति के निबन्धन/अनुबन्ध हेतु देय स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क आवंटनी को स्वयं वहन करना होगा। समस्त देय धनराशि जमा होने के उपरान्त ही निबन्धन की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।
  23. सम्पत्ति की ई-ऑक्शन ले-आउट के अनुसार अनुमानित क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। वास्तविक लीज-प्लान प्राप्त होने पर क्षेत्रफल कम पाये जाने पर ऑक्शन दर पर घटे हुये क्षेत्रफल की धनराशि अन्य व्ययों में समायोजित की जा सकेगी तथा उसके बाद भी अधिक जमा धनराशि पाये जाने पर वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। क्रेता को नगर निगम, भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर अथवा अधिभार आदि स्वयं वहन करने होंगे। इसी प्रकार किसी भी विभाग से प्राप्त की जाने वाली अनुमति/अनापत्ति/अनुज्ञा क्रेता को स्वयं अपने व्यय पर प्राप्त करनी होगी।
  24. सम्पत्ति के अनुबन्ध/निबन्धन हेतु निर्धारित धनराशि जमा करने के साथ शासनादेश के अनुसार स्टाम्प जमा करने एवं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप/विलेख के अनुसार अनुबन्ध/निबन्धन निष्पादित किये जाने के उपरान्त ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा क्रेता को दिया जायेगा। किसी प्रकार के विवाद की दशा में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।



25. ऑक्शन की गयी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर आर्बीट्रेशन एक्ट के प्राविधान लागू होंगे तथा उपाध्यक्ष ल0 वि0 प्रा0 अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति आर्बीट्रेटर होगा। आर्बीट्रेटर यदि कोई धनराशि किसी पक्ष में अर्वाड करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। आवंटी को मानसिक क्षति के आधार पर किसी भी प्रकार की धनराशि आर्बीट्रेटर अर्वाड नहीं करेगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही के दौरान आवंटी अपना खर्च स्वयं वहन करेगा। आर्बीट्रेशन की सारी कार्यवाही केवल लखनऊ नगर में सम्पादित होंगी।
26. ऑक्शन प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उठने पर केवल लखनऊ स्थित सक्षम न्यायालय में ही वाद का क्षेत्राधिकार होगा। उपाध्यक्ष स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति को 90 दिन के अन्दर आर्बीट्रेटर नामित करना होगा। यदि उपाध्यक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर स्वयं आर्बीट्रेटर का कार्य या दूसरे व्यक्ति को आर्बीट्रेटर नियुक्त नहीं करता है तो आवंटी अपना विवाद न्यायालय द्वारा निस्तारण करा सकेगा। यदि नामित व्यक्ति ल0 वि0 प्रा0 का अधिकारी है तो आवंटी को उस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार न होगा, चाहे ऐसे अधिकारी ने आवंटी के विवाद के सम्बन्ध में पूर्व में कोई आख्या ही क्यों न दे रखी हो।
27. ई-ऑक्शन प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय व बोली स्वीकृत होने के पूर्व निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा। इसी प्रकार ई-ऑक्शन प्रारम्भ होने के पूर्व ऑक्शन की शर्तों को प्राधिकरण के हित में संशोधन करने या कोई अन्य प्राविधान लागू करने का अधिकार उपाध्यक्ष ल0 वि0 प्रा0 में निहित होगा, जिसकी सूचना ऑक्शन में भाग लेने वाले को ऑक्शन से पूर्व दे दी जायेगी।
28. ई-ऑक्शन प्रक्रिया में पंजीकृत आवेदकों द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकेगा। ई-ऑफरदाता को पोर्टल पर अपने खाते का विवरण एवं कास चेक की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
29. आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा शासन द्वारा वर्तमान में तथा भविष्य में लागू किये गये समस्त नियमों/उप-नियमों का पालन करना होगा।
30. उपाध्यक्ष, ल0 वि0 प्रा0 का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

दिनांक—

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)  
अपर सचिव

(विवेक श्रीवास्तव)  
सचिव

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)  
उपाध्यक्ष